

कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर  
सिविल लाईन जबलपुर

क्रमांक/3344/विकास/2022 जबलपुर

दिनांक 08/04/2022

संशोधित विज्ञप्ति

कार्यालय संभागायुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक/2338/विकास/2022/ जबलपुर दिनांक 10/03/2022 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर में अधिष्ठाता के 01 पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे, उक्त विज्ञप्ति में आशिक संशोधन करते हुए विज्ञप्ति में अंकित शर्त "आवेदक म.प्र. शासन के चिकित्सा विभाग के 1987 के भर्ती नियम तहत नियुक्त किया गया हो" को विलोपित किया जाता है। आवेदन की अंतिम तिथि 18.04.2022 सायंकाल 05:00 बजे तक निश्चित की गयी है। शेष शर्तें यथावत रहेगी। पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को संबोधित करते हुये स्थान - आयुक्त, जबलपुर संभाग, संभागायुक्त कार्यालय, सिविल लाईन्स, जबलपुर (म.प्र.) पिन कोड 482001 में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा या ईमेल [commjabalpur@mp.gov.in](mailto:commjabalpur@mp.gov.in) पर भेजे जा सकते हैं।

आवेदन प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट [www.nscbmc.ac.in](http://www.nscbmc.ac.in) पर उपलब्ध है।

आयुक्त एवं अध्यक्ष

कार्यकारिणी समिति

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

स्वशासी मेडिकल कॉलेज जबलपुर




## अधिष्ठाता पद की नियुक्ति संबंधी विवरण

1. आवश्यक योग्यतायें :
  - (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता पद हेतु एन.एम.सी./एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री एवं 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (जिसमें प्राध्यापक के पद पर 05 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है )
  - (ख) म.प्र. के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 03 वर्ष या अधिक का विभागाध्यक्ष का कार्यानुभव।
2. अन्य योग्यतायें :-
  - (क) प्रेसीडेंट/आयोजन सचिव (Organizing Secretary) के रूप में राज्य, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन ।
  - (ख) न्यायालयीन प्रकरण प्रभारी/स्थापना प्रभारी का अनुभव।
  - (ग) चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया हो ।
3. आवेदन हेतु केवल म.प्र. शासन में स्थित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षक ही पात्र हैं ।
4. अभ्यर्थियों को म.प्र. शासन द्वारा नर्सिंग होम/अस्पताल में प्रायवेट प्रैक्टिस के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा किसी प्रायवेट अस्पताल/नर्सिंग होम में अधिष्ठाता की बिना पूर्वानुमति विजिट नहीं किया गया हो, इस संबंध में स्वघोषणा-पत्र देना होगा।
5. चयनित अभ्यर्थी का 05 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति जो भी पहले हो तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता पद पर से नेताजी सुभाष चंद्र चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया जावेगा ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता का पद ग्रहण करने के पश्चात निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।
7. वेतनमान :- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता :- Academic level - 14 (1,44,200/-) एवं शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतन एवं भत्ते ।
8. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा ।
9. अभ्यर्थी का म.प्र. मेडिकल काउंसिल/मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है ।
10. निरर्हतायें :-
  - \* विकृत चित्त वाला होने पर ।
  - \* दुश्चरित्र होने पर ।
  - \* शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
  - \* नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा- किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जावेगा।
  - \* विवाह संबंधी:- जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा।



- कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
- \* कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर ।
  - \* कदाचरण संबंधी:- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा यदि उसने शासन या नैतिक प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
  - \* ऐसे उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन के आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा व नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
  - \* ऐसे उम्मीदवार जिनके विरुद्ध विभागीय जांच, लोकयुक्त जांच, ई.ओ.डब्ल्यू जांच लंबित न हो।
11. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- कार्यालय आयुक्त, जबलपुर संभाग, संभागायुक्त कार्यालय, सिविल लाईन्स, जबलपुर (म.प्र.) पिन कोड 482001 में आवेदन पत्र दिनांक 08.04.2022 को सायंकाल 5:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा या ईमेल [commjabalpur@mp.gov.in](mailto:commjabalpur@mp.gov.in) पर भेजे जा सकते हैं किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
  12. पात्र अभ्यर्थियों की सूची महाविद्यालय की वेबसाइट [nsrbnjb@gmail.com](http://nsrbnjb@gmail.com) पर उपलब्ध की जायेगी।
  13. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
  14. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ-साथ, 02 स्वप्रमाणित छायाप्रतियां भी साथ लेकर अनिवार्य रूप से आवें ।

**महत्वपूर्ण टीप:-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि ये अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवार समाप्त की जायेगी । आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच प्रचलन हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है । यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

  
 आयुक्त एवं अध्यक्ष  
 कार्यकारिणी समिति  
 नेताजी सुभाष चंद्र बोस  
 स्वशासी मेडिकल कॉलेज जबलपुर